**DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH**
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
**Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001**
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001
Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

**:: सत्र 2013–14 में विभिन्न शासकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित CDDM, IDD, MOM, एवं ARCHITECTURE डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग की सूचना (NON PPT) ::**

शासकीय पालीटेक्निक दुर्ग में संचालित **MOM,** शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में संचालित **CDDM, IDD, MOM, ARCHITECTURE** एवं शासकीय कन्या राजनांदगांव एवं जगदलपुर में संचालित **CDDM, MOM** डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन (Allotment) अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर ऑन लाइन काउंसिलिंग द्वारा होंगे। अभ्यर्थी का छ.ग. का मूलनिवासी होना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु पात्रता/आधार निम्नानुसार है।

| पाठ्यक्रम का नाम | अर्हता | प्रतिशत | प्रवेश हेतु आबंटन का आधार | आयु |
|---|---|---|---|---|
| एम.ओ.एम | 12वीं किसी भी विषय में | 35 | 12वीं के सैधांतिक विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर | 30 |
| सी.डी.डी.एम/आई.डी.डी | 10वीं किसी भी विषय में | 35 | 10वीं के सभी विषयों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर | 30 |
| आर्किटेक्चर | 12वीं PCM में | 35 | 12वीं के PCM विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर | 30 |

छत्तीसगढ़ राज्य के महिला/अजजा./अजा./अन्य पिछड़ा वर्ग/विकंलाग के लिये आयु सीमा 33 वर्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य के अजजा./अजा./अन्य पिछड़ा वर्ग/विकंलाग के लिये अर्हकारी परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना पर्याप्त है । आनलाइन काउंसिलिग का कार्यक्रम निम्नानुसार है ।

**ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम**

| स.क. | विवरण | दिनांक से | दिनांक तक |
|---|---|---|---|
| 1 | **www.mkcl.biz/nonppt2013** में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं ऑप्शन फार्म भरना | 08 जुलाई 2013 सुबह 11.00 बजे | 13 जुलाई 2013 शाम 4.00 बजे |
| 2 | दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में दस्तावेजों का परीक्षण | 09 जुलाई 2013 | 13 जुलाई 2013 शाम 5.30 बजे |
| 3 | प्रथम चरण का सीट आबंटन (Allotment-1) | 15 जुलाई 2013 (समय दोपहर 2.00 बजे) | |
| 4 | आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य | 16 जुलाई 2013 | 20 जुलाई 2013 शाम 5.30 बजे |
| 5 | रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड करना | 22 जुलाई 2013 (समय 11.00 बजे) | |
| 6 | द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म भरना | 22 जुलाई 2013 सुबह 11.00 बजे | 24 जुलाई 2013 शाम 4.00 बजे |
| 7 | DVCमें दस्तावेजों का परीक्षण/चालान जमा करना | 22 जुलाई 2013 | 24 जुलाई 2013 शाम 5.30 बजे |
| 8 | द्वितीय चरण का आबंटन (Allotment-2) | 25 जुलाई 2013 (समय दोपहर 2.00 बजे) | |
| 9 | आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य | 26 जुलाई 2013 | 29 जुलाई 2013 |
| 10 | रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड करना | 30 जुलाई 2013 (समय 11.00 बजे) | |
| 11 | तृतीय चरण की काउंसिलिंग के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म भरना | 30 जुलाई 2013 | 01 अगस्त 2013 शाम 4.00 बजे |
| 12 | DVCमें दस्तावेजों का परीक्षण/चालान जमा करना | 30 जुलाई 2013 | 01 अगस्त 2013 शाम 5.30 बजे |
| 13 | तृतीय चरण का आबंटन (Allotment-3) | 02 अगस्त 2013 (समय दोपहर 2.00 बजे) | |
| 14 | आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य | 03 अगस्त 2013 | 06 अगस्त 2013 शाम 5.30 बजे |
| 15 | रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड करना | 07 अगस्त 2013 (समय 11.00 बजे) | |
| 16 | संस्था स्तर पर कांउसिलिंग | 07 अगस्त 2013 | 14 अगस्त 2013 |

**रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) एवं प्रवेश हेतु संस्थाएं बंद रहेगे ।**

शासकीय पाली जगदलपुर में संचालित MOM तथा CDDM में प्रवेश के लिये संस्था स्तर पर 20 जुलाई तक जिला के अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी गई है। यदि सीट रिक्त रहती है, तभी उसे केंद्रीय काउंसिलिंग से भरी जाएगी।

**टीपः–**

1. केंन्द्रीय कांउसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि 06 अगस्त के पश्चात रिक्त रह गई सीटों को संस्था स्तर पर कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेश नियम के बिंदु 2.8.10 के अनुसार किया जा सकता है । संस्था स्तर की कांउसिलिंग में छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता दिया जाना है इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्य के निवासी को भी प्रवेश दिया जायेगा । संस्था स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2013 है । इसके पश्चात कोई प्रवेश मान्य नहीं होगा ।

2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** – सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रकिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 200/– (रु. दो सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है ।यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में **''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़''** के नाम से **संचालित खाता कमांक –** 31077008863 में जमा करना है । फीस, चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :– डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 200/– का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है ।एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस वापसी योग्य नहीं है।चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा www.mkcl.biz/cgnonppt2013 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। **चालान फार्म में** Registration ID/Ref. No**. के सामने 10वीं का रोल नंबर लिखें।** इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है ।

3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया :

सामान्यतया ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी । तथापि इसमें आंशिक फेरबदल हो सकते हैं । ऐसा होने पर इसकी जानकारी वेबसाइट www.mkcl.biz/cgnonppt2013 में दी जायेगी ।

**1 (A) Online Registration :** ऑन लाईन पंजीयन (Online Registration) जहॉ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर , Choice केन्द्रों से, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में किया जा सकता है । कम्प्यूटर सिस्टम में **Internet Explorer 6** अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है । ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये 10वीं/12वीं की अंकसूची, बैंक चालान की प्रति । संस्थाओं एवं वहॉ संचालित पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी ।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।

सबसे पहले उम्मीदवार **www.mkcl.biz/cgnonppt2013** नामक वेबसाइट में जायें । इसके होम पेज पर कई जानकारियॉ दी गई हैं । जैसे :– प्रवेश नियम, विज्ञापन ,समस्त संस्थाओं की सूची,, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रकिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

1 (अ) इसके पश्चात् स्कीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़े । फिर **[Proceed]** बटन में क्लिक करें । दिये गये नियमों एवं शर्तो (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें, यदि ये शर्तें आपको मान्य है तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें । **[Reject]** करने पर आप प्रकिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिवश **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रकिया में भाग ले सकते हैं ।

(ब) अगले स्कीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें, यदि आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो Other state में क्लिक करें। इसके पश्चात् अपना 10वीं का रोल नं. (**Roll No.**) तथा जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें । इसके बाद आपको Password डालने के लिये कहा जायेगा । आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहॉ एंटर करें । पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है । पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** करें । अगले स्कीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले ले । अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें । यह संस्था में प्रवेश के समय भी काम आयेगा । इसे किसी अनधिकृत को न बतायें । इसके पश्चात् **Proceed to fill application form >>>** में क्लिक करें ।

(स) एक पॉप अप विंडो खुलेगा जिसमें Candidate में क्लिक करें तथा Login Id & Password डालकर Login करें।

(द)अगले स्कीन पर बायें तरफ दिये Fill Application Form, टेब में क्लिक करें।

(इ) इसके पश्चात् जो स्कीन खुलेगी उसमें आवेदन फार्म रहेगा इसमें चाही गई जानकारियॉ भरनी होंगी जैसे :– नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, केटेगरी , वर्ग, प्रवर्ग, बीपीएल ,मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, जिला ,पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें

(फ) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में –

**यदि आप 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण है तो High School (10th ) में क्लिक करें ।**

10 वीं का ,रोल नं., संस्था का नाम, बोर्ड का नाम ,उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निर्धारित स्थान पर सभी विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

**यदि आप उच्चतर माध्यमिक 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है तो HSC (12th ) में क्लिक करें ।**

12वीं विज्ञान विषय अथवा किसी अन्य विषय जिससे किया गया है उसमें क्लिक करें । 12 वीं का रोल नंबर , संस्था का नाम, बोर्ड का नाम ,उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निर्धारित स्थान पर सभी विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (ग) चालान संबंधी जानकारी – भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें ।

**1. (B) विकल्प (Option) भरना एवं विकल्प का प्राथमिकता क्रम देना –**

विकल्प भरने के लिये **Select Branch/College** में जाये। आपके पात्रता अनुसार कालेज एवं ब्रांच की सूची प्रदर्शित होगी। जहॉ–जहॉ प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में प्राथमिकता क्रम में क्लिक करते जायें । अर्थात जिस ब्रांच एवं संस्था (**विकल्प**) में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (Choice) देने हेतु उसके सामने **[Set Preference]** में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (Choice) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित होते जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये **[Reset My Preference]** में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रकिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें।

। **आप उपलब्ध सभी ब्रांच एवं सभी संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं । परंतु आबंटन आपके मेरिट के आधार, एवं सीट उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही ब्रांच एवं एक ही संस्था के लिये होगा । इच्छानुसार सारे विकल्प का प्राथमिकता देने के बाद** तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

टीप :– 1. **Select Branch/College** में केवल वे ही ब्रांच/कालेज प्रदर्शित होंगे जिनमें अभ्यर्थी पवेश हेतु पात्र है।

2. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के बहकावे में आकर नही भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था/ब्रांच का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

इसके पश्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** प्रदर्शित होगा, इसका प्रिंट ले लें, एवं प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव इस समय किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा । **Version No., Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है । निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (**Version**) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं ।

**1 C विकल्प बदलने की प्रकिया –**

यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं तो आप **click here to Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब Shortlist Your Option अथवा Set Your Preference में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो Set Your Preference में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले Shortlist Your Option में जायें तत्पश्चात् Set Your Preference में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option Form** जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जायें । अंतिम **Version** क्रमांक वाला विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें । साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें ।

टीप :– आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा **MKCL** के सहायता केन्द्रों **(Help Centre)** में जाकर मदद पाई जा सकती है । **MKCL** के अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है (इस सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में रहेगी) :–

| स.क. | **MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक | स.क. | **MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्लोबल मल्टीमीडिया, हनुमान मंदिर के पास, डी.सी. रोड, अंबिकापुर | सरगुजा | 07774–203096<br>98268–77024<br>97536–45205 | 16 | एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन, गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स, पैलेस रोड, सारंगढ़ | रायगढ़ | 07768–233902<br>93009–60024<br>93291–52626 |
| 2 | आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी., सत्या हीरोहोन्डा शोरूम के पास, मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा, बिलासपुर | बिलासपुर | 07752–412207<br>93003–20846 | 17 | डाल्फिन कम्प्यूटर एजुकेशन, चक्रधर नगर चौक, सरला विला के पास, रायगढ़ | रायगढ़ | 07762–222999<br>97531–65888<br>90398–22411 |
| 3 | डी.टेक. कम्प्यूटर्स, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, राजकिशोर नगर, बिलासपुर | बिलासपुर | 07752–427708<br>92298–28788 | 18 | आई.टी. इलेवन, फाफाडीह, मेन रोड, रायपुर | रायपुर | 0771–4059696<br>94252–08313 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | एम्स कम्प्यूटर, डी.पी. विप्र बी.एड. कॉलेज के पास जेवरा बाड़ा, बिलासपुर | बिलासपुर | 96174–99156<br>98279–50105<br>92292–43357 | 19 | आई.टी. टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तात्यापारा चौक, रायपुर | रायपुर | 0771–2329910<br>93017–05599 |
| 5 | आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी., ओजस्वी नर्सिग होम के सामने, गुलमोहर वाटिका, रूद्री रोड,, धमतरी | धमतरी | 93028–32896<br>98264–32896 | 20 | आई.टी. जीनियस प्रा.लि. पासपोर्ट ऑफिस के उपर, तीसरा तल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर | रायपुर | 0771–4069861<br>96173–72319 |
| 6 | हिमांशु इंफोटेक, प्रथम तल, 108 न्यू सिविक सेंटर, गीत टॉकीज के पीछे, भिलाई | दुर्ग | 0788–2352445<br>99268–44199 | 21 | शिवांता टेक्नालॉजी,, प्रथम तल, कृष्णा प्लाजा, बिन्दा सोनकर स्कूल के सामने,अश्वनी नगर, रायपुर | रायपुर | 0771–4058990<br>98267–00068 |
| 7 | कम्प्यूटर इंफो सॉल्यूशन, शॉप नं. –75,सेक्टर –10, ए मार्केट, भिलाई | दुर्ग | 0788–4031312<br>99932–51100<br>90390–39995 | 22 | आसैक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशनल, ऑपोसिट राजकुमार कॉलेज, चौबे कॉलोनी, रायपुर | रायपुर | 0771–4061441<br>98271–44077 |
| 8 | पेस आई.टी. सिंधी कॉलोनी, डॉ. सिद्दीकी क्लिनिक के उपर, स्टेशन रोड, गुरूद्वारा के पास, दुर्ग | दुर्ग | 0788–4013474<br>98271–71227 | 23 | अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कस्तूरबा महिला मंडल, पुराना रेस्ट हाउस, राजनांदगॉव | राजनांदगॉव | 07744–409682<br>98261–90095 |
| 9 | अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई मंदिर के सामने, सिविल लाईन्स,कसारीडीह, दुर्ग | दुर्ग | 0788–2326540<br>93023–53905<br>93021–87300 | 24 | अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन, दिग्विजय कॉलेज रोड, राजनांदगॉव | राजनांदगॉव | 07744–409555<br>93295–51000 |
| 10 | यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर | बस्तर | 07782–226632<br>94252–61196 | 25 | सी–टेक कम्प्यूटर एजुकेशन, बालेराय स्टेडियम के सामने, मेनरोड, जांजगीर–चांपा | जांजगीर–चांपा | 07819–244288<br>98261–96610 |
| 11 | सेट कम्प्यूटर, भाटिया कॉलोनी, शासकीय हास्पिटल के सामने, पत्थलगॉव | जशपुर | 07765–234000<br>94241–83777 | 26 | नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड, नारायणपुर | नारायणपुर | 94255–18385 |
| 12 | शर्मा कम्प्यूटर्स, करबला चौक, जशपुर | जशपुर | 07763–223600<br>07728–231396<br>94252–52975 | 27 | नेशनल कम्प्यूटर्स, चर्च के पास, कांकेर | कांकेर | 98278–87087<br>94252–61817 |
| 13 | विद्या कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी दीप मीडिया, एकता चौक, कवर्धा | कवर्धा | 07741–232772<br>98936–01234<br>94076–07454 | 28 | ट्रैक कम्प्यूटर, साडा काम्प्लेक्स, ए–12, बस स्टेण्ड, दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | 07856–252324<br>94252–58546 |
| 14 | राहे कम्प्यूटर, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा | कोरबा | 07759–226144<br>81035–23771 | 29 | नाईस–टेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखंड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास, मनेन्द्रगढ़ | कोरिया | 07771–241927<br>93015–87039 |
| 15 | एजुकेशन प्लानेट, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा | कोरबा | 07759–228705<br>98263–12327 | 30 | इंडियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पिंजा धर्मशाला के पास, स्टेशन रोड, महासमुन्द | महासमुन्द | 07723–222121<br>98264–26982 |

**टीप :– 1 एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे । विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है । सहायता केन्द्रो का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/– प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/– प्रति पेज का प्रिटिंग शुल्क देय होगा । कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरूद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है ।**

**1 यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।**

## 2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

संस्था आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) ।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव

कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

**दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार हैः–**
**(सूची में परिवर्तन हो सकता है । जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)**

| स. क्र. | दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक | स. क्र. | दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर | रायपुर | 0771–2421376 | 12 | शासकीय पॉलीटेकनिक, जांजगीर, खोखरा भाटा, | जांजगीर | 07817–222026 |
| 2 | शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर | सरगुजा | 07774–220609 | 13 | शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़ | रायगढ | 07762–222737 |
| 3 | शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर | बिलासपुर | 07752–260289 | 14 | शासकीय पॉलीटेकनिक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम | कबीरधाम | 07741–232636 |
| 4 | शासकीय पॉलीटेकनिक, भकरूपुर, नारायनपुर | नारायनपुर | 07781200078 | 15 | इंस्टीट्युट आफ टेक्नालाजी कोरबा, | कोरबा | 0775–217435 |
| 5 | शासकीय पॉलीटेकनिक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर | बिलासपुर | 07753–264963 | 16 | शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द | महासमुन्द | 07723–224818 |
| 6 | शास. इंजी. महा. जगदलपुर ,धरमपुरा नं– –2, जगदलपुर | बस्तर | 07782–229436 | 17 | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक बायरन बाजार, रायपुर, | रायपुर | 0771–2423045 |
| 7 | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक , धरमपुरा नं.–2, जगदलपुर, | बस्तर | 07782–229230 | 18 | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक तहसील कार्या., राजनांदगॉव, | राजनांदगॉव | 07744–226830 |
| 8 | शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी | धमतरी | 07722–237618 | 19 | शासकीय पॉलीटेकनिक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़ | राजनांदगॉव | 07820–234010 |
| 9 | शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग | दुर्ग | 0788–2323548 | 20 | शासकीय पॉलीटेकनिक, गरियाबंद | गरियाबंद | 07706241303 |
| 10 | शासकीय पॉलीटेकनिक रामानुज उच्च. मा. शाला भवन बैकुन्ठपुर | कोरिया | 07836232070 | 21 | शासकीय पॉलीटेकनिक पुराना कोर्ट भवन कांकेर | कांकेर | 07868222081 |
| 11 | शासकीय पॉलीटेकनिक ,शास. एन. ई.एस. पी.जी. कालेज केम्पस जशपुर | जशपुर | 07763220051 | 22 | शासकीय पॉलीटेकनिक वेंकटराव कालेज केंपस बीजापुर | बीजापुर | 07853220015 |

**टीपः– यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।दस्तावेज परीक्षण हेतु समय सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी ।**

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लियें हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

**सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –** सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति ।
2. 10 वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।

3 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा ।**

4 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य कोटा के लिये अन्य राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र ।

5. रु. 200/– काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति

6 02 पासपोर्ट साइज फोटो ।

**छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –**

7 छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर

भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।

8 छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने संबंधी **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

9 यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स)। यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप – 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

10 यदि अभ्यर्थी विकलांग (PH) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

11 यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार मे आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा । यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि मे फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा । सबमिट करने पर **Acknowledgement cum Option Form** प्रदर्शित होगा । इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं इसमें छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी । **DVC** द्वारा आपको **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें । काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह **Acknowledgement cum Option Form** फार्म ही है एवं उसमें **DVC** की सील लगी है ।

**निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी । अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें ।**

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 10वीं/12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

**3. सीट आबंटन**

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को संस्था का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके 10वीं/12वीं के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । आबंटन सूची वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgnonppt2013** पर देखा जा सकता है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो **SMS** के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । **SMS** प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) आप **check allotment details** में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें । इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें

**4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –**

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी । अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेंगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें । बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा ।

**5. प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट में अपलोड करना –**

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी ।

**6. द्वितीय एवं उच्च चरण की काउंसिलिंग –**

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय एवं उच्च चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय एवं उच्च चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो प्रथम चरण में थी ।

इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं :

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण मे आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित संस्था बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है परंतु उन्हें भी इस चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा । इसके लिए उन्हें अपना पूर्व सीट निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने पर उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह सीट पुनः मिले । ऐसे अभ्यर्थी समझकर अपना रजिस्ट्रेशन करायें । इन्हें पुनः रु. 200/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा ।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिये – ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं ये पुनः द्वितीय एवं उच्च चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे । इन्हें पुनः रु. 200/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा ।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः रु. 200/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा । यदि विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें रु. 200/– का चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे ।
4. यदि अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे – ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय एवं उच्च चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं । इसके लिये इन्हें रु. 200/– काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा ।

<u>टीप :</u> 1. जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं एवं द्वितीय एवं उच्च चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है । ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु. 500/– की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है । इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है ।

2. कोई छात्र जो उसी संस्था में द्वितीय एवं उच्च चरण के दौरान ब्रांच परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी पुनः ऑनलाईन लागइन करनी होगी । संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा।

**7. द्वितीय एवं उच्च चरण हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में दस्तावेज का परीक्षण कराना एवं शुल्क जमा करना**

यह कार्य केवल उन्ही अभ्यर्थियों को कराना है जो प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो अभ्यर्थी पहले ही प्रथम चरण में दस्तावेज परीक्षण करवा चुके हैं उन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उन्हें रु. 200/– का चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है । इसके बिना रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं माना जायेगा एवं आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा ।

**8. द्वितीय एवं उच्च चरण का सीट आबंटन**

द्वितीय एवं उच्च चरण में विकल्प बदलने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं प्रथम चरण में आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी । जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है ।

**9. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य**

द्वितीय एवं उच्च चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है । निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है । परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

**10.**किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

**11.**कृपया वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें।काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी www.mkcl.biz/cgnonppt2013 एवं www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है। आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 पर संपर्क किया जा सकता है।

**संचालक**
**तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ**